

## प्रेस नोट दिनांक- 03.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा युवती को जलाकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों ( 01 महिला,01 पुरुष ) को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के निर्देशन में थाना भरथना पुलिस द्वारा युवती को जलाकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों ( 01 महिला,01 पुरुष ) को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.10.2020 को वादी अनुप कुमार पुत्र स्व0 श्री रामदास निवासी दतावली थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना भरथना पर आकर सूचना दी गयी कि दिनांक 01.10.2020 को मेरी बहन किरन देवी पत्नी अवनेश कुमार निवासी नगला राधे बनामई थाना भरथना को उनके ससुरालीजनो द्वारा मारपीट की गयी है एवं जान से मारने की नियत से ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गयी है जो कि वर्तमान में जेके हॉस्पिटल जनपद इटावा में उपचाराधीन है वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0स0 551/2020 धारा 323,326,307,506 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 06.01.2021 को पीडिता किरन देवी का उनके मायके ग्राम दतावली थाना मटसैना थाना फिरोजबाद में मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर अभियोग मे धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गयी । एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व मे थाना भरथना पर पुलिस टीम गठित की गयी ।

इसी क्रम में थाना भरथना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0स0 551/2020 से संबंधित अभियुक्त कही जाने की फिराक में भरथना बस स्टैण्ड पर खडे है मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते पुलिस टीम द्वारा बस स्टैण्ड पर पहुंची तो मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि जो एक महिला व एक पुरुष खडे है वही घटना से संबंधित है जिस पर पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

**पुलिस पूछताछ** - पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि मृतका किरन देवी के हम जेठ-जेठानी हैं तथा मृतका किरन देवी जसवंतनगर निवासी मेरे साडू के विरुद्ध चल रहे दहेज उत्पीडन के अभियोग में गवाह थी जिसको लेकर आये दिन उसके साथ झगडा होता था दिनांक 01.10.2020 को भी हमारे बीच झगडा हुआ था जिसमें हमारे द्वारा किरन को डीजल डालकर आग लगा कर जला दिया था ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. संतोष कुमार पुत्र यदुवीर सिंह निवासी ग्राम बनामई थाना भरथना।
2. ममता देवी पत्नी मिलाप सिंह निवासी ग्राम बनामई थाना भरथना।

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 551/2020 धारा 302,307 भादवि।

**पुलिस टीम-** श्री अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना, निरी0 श्री अखिलेश पाल , है0का0 रामस्नेही शुक्ला का0 मोनू कुमार,म0का0 निशा मलिक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इटावा